


गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
कोनी, बिलासपुर 495009 (छोगा)
दूरभाष : 07752-260003, 260000



Guru Ghasidas Vishwavidyalaya,

(A Central University established by the central universities Act 2009 No.25 of 2009)
Koni, Bilaspur 495009 (G.G.)
PH No. 07752-260003, 260000

क्रमांक 620 / परीक्षा / 2024

बिलासपुर, दिनांक 26.02.2024

कार्यालयीय ज्ञापः

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.02.2024 में अ.अ.वि.क्र. 3 में लिये गये निर्णयानुसार ए.बी.सी.प्रकोष्ठ का गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. प्रो। ए.एस.रणदिवे, अधिष्ठाता | अध्यक्ष |
| 2. समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता | सदस्य |
| 3. परीक्षा नियंत्रक | सदस्य |
| 4. उप-कुलसचिव, परीक्षा | (सभी ऑनलाईन प्लेटफार्म के नोडल अधिकारी) |
| 5. श्री विवेक सराठे, सहा.प्राध्यापक | सदस्य
(ऑनलाईन प्लेटफार्मों की संपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये) |
| 6. श्री के.के.राय | सदस्य
(समर्थ पोर्टल की मदद से डाटा आदि अपलोड करने के लिये) |
| 7. श्री प्रणय कार्डकर | सदस्य
(समर्थ पोर्टल से डाटा पुशिंग के लिये तकनीकी सदस्य)
(एबीसी आईडी अपलोड करने, नामांकन क्रमांक जनरेट करने और बनाने के लिये) |

उक्त ए.बी.सी. समिति द्वारा यू.जी.सी., भारत सरकार के ईआरपी पोर्टल यथा— नेड, एबीसी डिजिलॉकर एवं समर्थ पोर्टल के द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देश अनुसार कार्य करेगी ।

एन.ई.पी.-2020 में वर्णित प्रावधान के अनुसार Certificate/Diploma/Degree स्तर के प्रमाण पत्र निर्गत करते समय समतुल्यता की आवश्यकता होने की स्थिति में उपयुक्त मामलों को समतुल्यता समिति को निराकरण हेतु अनुशंसित करेंगे एवं आवश्यक निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे ।

आदेशानुसार

कुलसचिव (भारसाधक)

बिलासपुर, दिनांक 26.02.24

पृ.क्रमांक 621 / परीक्षा / 2024

प्रतिलिपि :—

- कुलपति / कुलसचिव के निज सचिव / निज सहायक की ओर मान. कुलपति / कुलसचिव जी के सूचनार्थ प्रेषित ।
- निदेशक, आईक्यूएसी सेल, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
- समस्त अध्ययनशालाओं के अधिष्ठाता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ ।
- वित्ताधिकारी / सहायक कुलसचिव, अकादमिक / प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- कार्यालय प्रति ।

परीक्षा नियंत्रक (भारसाधक)